

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

उप-क्षेत्रीय कार्यालय,

5, मीराबाई मार्ग, लखनऊ

पेन्शन पाने वाले व्यक्ति द्वारा पेश किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

१. जीवित रहने का प्रमाण-पत्र (LIFE CERTIFICATE) :

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने पेन्शन आदायगी आदेश संख्या के आधीन पेन्शन पाने वाले श्री/श्रीमती बैंक बचत खाता संख्या को देखा है और वह आज की तारीख में जीवित है।

स्थान दिनांक (Date)

पता (Address)

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

बैंक का नाम

बैंक शाखा की मोहर

(Rubber Stamp)

(पेन्शन पाने वाले का हस्ताक्षर)

२. नौकरी न करने का प्रमाण-पत्र (Non employment / Non reemployment certificate) :

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने नवम्बर से अप्रैल मई से अक्टूबर तक वर्ग अवधि में केन्द्रीय सरकार अथवा किसी सरकारी उपक्रम अथवा किसी स्थानीय विधि को किसी स्थापना में किसी हैसियत से सेवा करने के लिए कोई रकम नहीं प्राप्त की है।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने के कार्यालय में नियुक्त/फिर से नियुक्त हुआ हूँ/हुई हूँ और मैंने की अवधि में नीचे लिखी परिलब्धियाँ प्राप्त की है।

जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

स्थान :

दिनांक (Date)

(पेन्शन पाने वाले का हस्ताक्षर)

३. पुनः विवाह करने/पुनः विवाह न करने का प्रमाण पत्र (Non remarriage certificate) :

मैं उसके द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विवाह नहीं किया है। मैंने पिछले ६ महीनों में विवाह नहीं किया है।

स्थान : दिनांक (Date)

४. सत्यापन (Verification)

(पेन्शन पाने वाले का हस्ताक्षर)

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि जहाँ तक मुझे पता है ओर मुझे विश्वास है कि उपरोक्त कथन सही है।

स्थान

दिनांक

किसी जिम्मेदार अधिकारी अथवा किसी

सुप्रसिद्ध व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पता